



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)  
आदेश

क्रमांक / 1304 / रीडर / जि0दण्डा0 / 2021


कोण्डागांव दिनांक 28/04/2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1290 / रीडर / जि0दण्डा0 / 2021 कोण्डागांव दिनांक 24/04/2021 की निम्नलिखित कंडिका में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. कंडिका-14 कंडिका 14 में दी गई शासकीय/निजी निर्माण कार्य को अनुमति दी गई है को एतद् द्वारा दिनांक 05.05.2021 तक प्रतिबंधित किया जाता है।
2. कंडिका-18 कंडिका 18 में विवाह कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति सशर्त प्रदान की गयी है को एतद् द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 05.05.2021 तक सभी वैवाहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित किये जाते हैं।
3. कंडिका-22 कंडिका 22 में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित टायर दुकान जिनके द्वारा वाहनों में हवा भरने एवं पंचर बनाने का कार्य किया जाता है को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुए खोलने की अनुमति होगी।

आदेश की शेष कंडिका यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

  
(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला कोण्डागांव (छ0ग0)


कोण्डागांव दिनांक 28/04/2021

पृ. क्रमांक / 1304-A / रीडर / जि0दण्डा0 / 2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग (जगदलपुर) की ओर सादर सूचनार्थ।

4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. खाद्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
15. सर्व संबंधितों .....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)